Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/97

1. शंकर लाल आत्मज लोडक्या जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
2. देवलाल आत्मज लोडक्या जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
3. रामप्रहलाद आत्मज लोडक्या जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. रोहित आयु 10 साल पुत्र रामप्रहलाद ।
   3/2. अंजली आयु 07 साल पुत्री रामप्रहलाद जाति मीणा जरिये सरंक्षक माता प्रेम बाई पत्नी रामप्रहलाद मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
   3/3. प्रेमबाई विधवा रामप्रहलाद मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
4. श्रीमती गणेशी बाई पुत्री लोडक्या पत्नी शंकर लाल निवासी जावरकला जिला चित्तौडगढ
5. परी बाई पुत्री लोडक्या पत्नी श्री सुरेश कुमार मीणा निवासी ग्राम कचौलिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. श्रीमती निर्मला पुत्री लोडक्या पत्नी बिरधीलाल मीणा निवासी ग्राम गाजरों की झौपडियॉ तहसील बून्दी ।
7. श्रीमती उर्मिला पुत्री लोडक्या मीणा निवासी ग्राम अन्ता जिला बारां ।
8. श्रीमती नरूका बेवा लोडक्या मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. मुकुट बिहारी आत्मज भूरया जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
2. जगदीश आत्मज भूरया जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
3. श्रीमती मोहनी बेवा भूरया जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
4. चन्द्रकला पत्नी महावीर मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
5. रेखा पुत्री भूरया जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
6. उच्छबलाल आत्मज सांवला मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
7. नारायण आत्मज भोलू जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
8. श्रीमती हजारी बाई बेवा हंसराज जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी।
9. श्रीमान् तहसीलदार, बून्दी ।
10. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, बून्दी ।

––प्रत्यर्थी

नाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.11.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 72/दावा/2008

1. शंकर लाल आत्मज लोडक्या जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
2. देवलाल आत्मज लोडक्या जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
3. रामप्रहलाद आत्मज लोडक्या जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील ।
4. श्रीमती गणेशी बाई पुत्री लोडक्या पत्नी शंकर लाल निवासी जावरकला जिला चित्तौडगढ
5. श्रीमती पारी बाई पुत्री लोडक्या पत्नी श्री सुरेश कुमार मीणा निवासी ग्राम कचौलिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. श्रीमती निर्मला पुत्री लोडक्या पत्नी बिरधीलाल मीणा निवासी ग्राम गाजरों की झौपडियॉ तहसील बून्दी ।
7. श्रीमती उर्मिला पुत्री लोडक्या मीणा निवासी ग्राम अन्ता जिला बारां ।
8. श्रीमती नरूका बेवा लोडक्या मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. मुकुट बिहारी आत्मज भूरया जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
2. जगदीश आत्मज भूरया जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
3. श्रीमती मोहनी बेवा भूरया जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
4. चन्द्रकला पत्नी महावीर मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
5. रेखा पुत्री भूरया जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
6. उच्छबलाल आत्मज सांवला मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
7. नारायण आत्मज भोलू जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
8. श्रीमती हजारी बाई बेवा हंसराज जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी।
9. श्रीमान् तहसीलदार, बून्दी ।
10. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.11.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

अपील तारीख 14.10.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री कैलाश गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.11.2017 में संशोधन कर निम्नानुसार प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाती है कि :–

वादीगण कम 1, 2 व 3 को खसरा नम्बर 360 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है और इसमें से प्रतिवादीगण कम 1, 2 व 3 का हिस्सा समाप्त किया जाता है । ग्राम भरता बावडी की आराजी नया खाता संख्या 32 पुराना 31 में खसरा नम्बर 25 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा भूमि में वादीगण के हिस्सा 1/6, प्रतिवादी कम 1 व 2 के हिस्सा 1/8, प्रतिवादी कम 03 के हिस्सा 1/24, प्रतिवादी कम 04 के हिस्सा 1/6, प्रतिवादी कम 06 के हिस्सा 1/6, प्रतिवादी कम 07 के हिस्सा 1/3 के विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाती है । इसी प्रकार ग्राम भरता बावडी की आराजी नया खाता संख्या 33 पुराना 30 की खसरा नम्बर 42 की रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 107 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 110 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 183 की रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 236 की रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 308 की रकबा 04 बीघा कुल 06 किता की 17 बीघा 10 बिस्वा भूमि में वादीगण के 1/2 हिस्से, प्रतिवादी कम 1 व 2 के 3/8 हिस्से, प्रतिवादी कम 03 के 1/8 हिस्से के विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की जाती है । खसरा नम्बर 360 का 1/2 हिस्सा वादी कम 01 लगायत 03 व 1/2 हिस्सा वादी कम 01 लगायत 09 के खाते में रहेगा । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय हाजा द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसील से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 14.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

14.10.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/97

1. शंकर लाल आत्मज लोडक्या जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
2. देवलाल आत्मज लोडक्या जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
3. रामप्रहलाद आत्मज लोडक्या जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. रोहित आयु 10 साल पुत्र रामप्रहलाद ।
   3/2. अंजली आयु 07 साल पुत्री रामप्रहलाद जाति मीणा जरिये सरंक्षक माता प्रेम बाई पत्नी रामप्रहलाद मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
   3/3. प्रेमबाई विधवा रामप्रहलाद मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
4. श्रीमती गणेशी बाई पुत्री लोडक्या पत्नी शंकर लाल निवासी जावरकला जिला चित्तौडगढ ।
5. परी बाई पुत्री लोडक्या पत्नी श्री सुरेश कुमार मीणा निवासी ग्राम कचौलिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. श्रीमती निर्मला पुत्री लोडक्या पत्नी बिरधीलाल मीणा निवासी ग्राम गाजरों की झौपडियॉ तहसील बून्दी ।
7. श्रीमती उर्मिला पुत्री लोडक्या मीणा निवासी ग्राम अन्ता जिला बारां ।
8. श्रीमती नरूका बेवा लोडक्या मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. मुकुट बिहारी आत्मज भूरया जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
2. जगदीश आत्मज भूरया जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
3. श्रीमती मोहनी बेवा भूरया जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
4. चन्द्रकला पत्नी महावीर मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
5. रेखा पुत्री भूरया जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
6. उच्छबलाल आत्मज सांवला मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
7. नारायण आत्मज भोलू जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी ।
8. श्रीमती हजारी बाई बेवा हंसराज जाति मीणा निवासी ग्राम भरता बावडी तहसील बून्दी।
9. श्रीमान् तहसीलदार, बून्दी ।
10. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

दिनांक: 14.10.2019

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 27.11.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भरता बावडी तहसील व जिला बून्दी में खसरा नम्बर 25 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में नुरका बेवा लोडक्या, शंकर, देवलाल, रामप्रहलाद पिसरान लोडक्या, गणेशी, पारी, बिसरी, निर्मला, उर्मिला पुत्रियाँ लोडक्या हिस्सा 1/6, मुकुट बिहारी, जगदीश पिसरा भूरया हिस्सा 1/8, मोहनी बेवा भूरया हिस्सा 1/24, चन्द्रकला बाई पत्नी महावीर हिस्सा 1/6, उच्छब लाल पिता सांवला हिस्सा 1/6, नारायण वल्द भोलू हिस्सा 1/3 दर्ज है । इसी प्रकार ग्राम भरता बावडी तहसील व जिला बून्दी में कुल 07 किता की 27 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें वादीगण कम 1 से 9 के 1/2 हिस्सा प्रतिवादी मुकुट बिहारी व जगदीश का 3/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी मोहनी बाई का 1/8 हिस्से के सहखातेदार हैं । प्रतिवादी ने भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा में से इनका सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा दिनांक 20.03.1997 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादीगण को बेचान कर दिया तब से ही वादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । विक्रय पत्र के मुताबिक खसरा नम्बर 360 में प्रतिवादीगण कम 1 से 3 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण कम 1 से 3 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज किया जावे । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारों के मध्य अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । प्रतिवादीगण कम 1 से 3 ने विकय्र पत्र दिनाक 20.03.97 द्वारा वादीगण कम 1 से 3 को कृषि भूमि बेचान करने के बाद उनका हिस्सा कम हो गया किन्तु खाते में अधिक हिस्सा दर्ज चले आने के कारण वे कृषि भूमि का पुनः बेचान करने के लिए एवं भारग्रस्त करने व रहन रखने के लिए आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिकी पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित आराजी में प्रतिवादीगण कम 1 से 3 के 1/2 हिस्से पर वादीगण कम 1 से 3 को बेचान के आधार पर खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावे तथा प्रतिवादीगण कम 1 से 3 का नाम विलोपित किया जावे । सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर वादीगण के हिस्से में आने वाली भूमि पर स्वतंत्र खाता एवं स्वतंत्र कब्जा प्रदान किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही कृषि भूमि से उन्हें बेदखल नहीं करे तथा बंटवारा करवाये बिना भूमि को किसी प्रकार से हस्तान्तरिण, रहन एवं भारग्रस्त नहीं करें । प्रतिवादी कम 05 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे बंटवारे के पूर्व वादग्रस्त भूमि के किसी रहन, बेचान अथवा भार प्रलेख का पंजीयन नहीं करे ।

4. प्रतिवादी कम 4, 6, 7 व 8 ने इकबालिया जवाब पेश किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.11.2017 के द्वारा वाद वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए खसरा नम्बर 360 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम भरता बावडी में से वादीगण द्वारा क्रयशुदा आराजी 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए 1/2 हिस्से का विक्रेता मुकुट बिहारी, जगदीश पिसरान भूरया मोहनी बेवा भूरया के हिस्से से कम कर वादीगणको खातेदार घोषित करने का निर्णय पारित करते हुए वाद डिक्री किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.11.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य संयुक्त खाते में दर्ज कृषि भूमि के बंटवारे की डिक्री प्रदान नहीं कर त्रुटि की है । सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में से भूमि खसरा नम्बर 360 को छोडकर शेष सम्पूर्ण कृषि भूमि बंटवारे का विषयवस्तु है जिसका वादपत्र में वर्णित कब्जे की स्थिति के अनुसार विभाजन किया जाना है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन का अनुतोष प्रदान नहीं करके त्रुटि की है । रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण ने विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष का कोई विरोध नहीं किया है रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया गया था । अपीलान्ट वादीगण के कथन का कोई खण्डन नहीं किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायोचित प्रार्थना स्वीकार नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.11.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने एक दावा अधिकार घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुए आराजी खसरा नम्बर 360 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा के लिए विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार घोषित करने की डिक्री प्रदान की है परन्तु बंटवारे की डिक्री प्रदान नहीं की है जबकि बंटवारा किया जाना आवश्यक है । आराजी संयुक्त खाते में दर्ज है जिसका बंटवारा कराने का सहखातेदारों को अधिकार होता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 27.11.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने एक दावा हक घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया । जवाबदावा प्रतिवादी क्रम 4, 6, 7 व 8 की ओर से पेश किया गया है जिसमें दावे को डिक्री करने में अनापत्ति की गई है । प्रतिवादी क्रम 05 के खिलाफ दिनांक 01.02.2016 को एक तरफा कार्यवाही की गई है और प्रतिवादी क्रम 1, 2 व 3 के खिलाफ दिनांक 17.05.2088 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2063—66 प्रदर्श—1, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श— 2, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श—3, नक्शा ट्रेस की

प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 4, नकल जमाबन्दी संवत् 2063–66 प्रदर्श– 5, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श–6 संलग्न हैं । इसके अलावा पत्रावली पर असल विक्रय पत्र प्रदर्श–7 संलग्न है ।

11. वादी की ओर से बयान शंकर लाल, बाबूलाल कराये गये हैं ।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलग्न दस्तावेजात में राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी संवत् 2063–66 प्रदर्श– 1 के अनुसार ग्राम भरता बावडी की आराजी नया खाता संख्या 32 पुराना 31 में खसरा नम्बर 25 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा भूमि पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी कम 1 व 2 का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी कम 03 का हिस्सा 1/24, प्रतिवादी कम 04 का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी कम 06 का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी कम 07 का हिस 1/3 दर्ज है । इसी प्रकार नकल जमाबन्दी संवत् 2063–66 प्रदर्श– 5 के अनुसार नया खाता संख्या 33 पुराना 30 में कुल 07 किता की रकबा 27 बीघा 02 बिस्वा भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/2, प्रतिवादी कम 1 व 2 का हिस्सा 3/8, प्रतिवादी कम 03 का हिस्सा 1/8 दर्ज है । इसके अलावा पत्रावली पर संलग्न विक्रय पत्र के अनुसार प्रतिवादी कम 1, 2, 3 ओर 5 के द्वारा वादी कम 1, 2 व 3 के पक्ष में खसरा नम्बर 360 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा में 1/2 हिस्से का विक्रय किया है । पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 5 के अनुसार खसरा नम्बर 360 में मुकुट बिहारी, जगदीश हिस्सा 3/8 और मोहनी बाई हिस्सा 1/8 दर्ज है । इस प्रकार उनका 1/2 हिस्सा वादीगण कम 1, 2 व 3 के द्वारा कय किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण को खसरा नम्बर 360 में 1/2 हिस्से का खातेदार तो घोषित किया है परन्तु विभाजन की डिकी पारित नहीं की है जबकि सहखातेदारों की आराजी में सहखातेदारों का हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिकी पारित की जानी चाहिए थी । प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी कम 4, 6, 7 व 8 के द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया है । ऐसी स्थिति में पत्रावली पर संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन की प्रारम्भिक डिकी पारित किया जाना हम उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 27.11.2017 में संशोधन कर निम्नानुसार प्रारम्भिक डिकी पारित की जाती है कि :–

वादीगण कम 1, 2 व 3 को खसरा नम्बर 360 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है और इसमें से प्रतिवादीगण कम 1, 2 व 3 का हिस्सा समाप्त किया जाता है । ग्राम भरता बावडी की आराजी नया खाता संख्या 32 पुराना 31 में खसरा नम्बर 25 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा भूमि में वादीगण के हिस्सा 1/6, प्रतिवादी कम 1 व 2 के हिस्सा 1/8, प्रतिवादी कम 03 के हिस्सा 1/24, प्रतिवादी कम 04 के हिस्सा 1/6, प्रतिवादी कम 06 के हिस्सा 1/6, प्रतिवादी कम 07 के हिस्सा 1/3 के विभाजन की प्रारम्भिक डिकी पारित की जाती है । इसी प्रकार ग्राम भरता बावडी की आराजी नया खाता संख्या 33 पुराना 30 की खसरा नम्बर 42 की रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 107 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 110 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 183 की रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 236 की रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 308 की रकबा 04 बीघा कुल 06 किता की 17 बीघा 10 बिस्वा भूमि में वादीगण के 1/2 हिस्से, प्रतिवादी कम 1 व 2 के 3/8 हिस्से, प्रतिवादी कम 03 के 1/8 हिस्से के विभाजन की

प्राथमिक डिक्री पारित की जाती है । खसरा नम्बर 360 का 1/2 हिस्सा वादी क्रम 01 लगायत 03 व 1/2 हिस्सा वादी क्रम 01 लगायत 09 के खाते में रहेगा । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय हाजा द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसील से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा